

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 2021

सा. का. नि....(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2021- सीमा शुल्क ((गै.टै.)), दिनांक 16 जून, 2021 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2349 (अ) दिनांक 16 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में, यथा:-

(i) पेज नंबर 1 पर,

के लिये

“उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

सारणी-1”

पढ़ा जाए

“उक्त अधिसूचना में, सारणी-1 में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 और उनसे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-”

[फा. सं. 467/01/2021-सीमा शुल्क -V]

(राधाकृष्णन आनंद)
उपसचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th June, 2021

G.S.R. (E).- In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/2021-Customs (N.T.), dated the 16th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2349(E), dated the 16th June, 2021,

(i) at the page number 2,

for

“In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2 and TABLE-3” the following Tables shall be substituted, namely:-

TABLE-1”

read

“In the said notification, in the TABLE-1, for the serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and entries relating thereto, following serial numbers and entries shall be substituted, namely :-”.

[F. No. 467/01/2021-Cus-V]

(R.Ananth)

Deputy Secretary to the Government of India